आयोजनागत

संख्या–1022/XXIV(8)/2005–85/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 29 दिसम्बर,2005

विषयः– राजकीय पालीटेक्निक गौचर में 48 सीटेड़ महिला छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2590/नि0प्रा0शि0/ प्लान–छै–1/2005–06 दिनांक 21.11.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय पालीटेक्निक गौचर में 48 सीटेड़ महिला छात्रावास के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन रू0 134.58 लाख के सापेक्ष रू0 131.74 लाख (रूपये एक करोड़ इकतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) के आंगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, शासनादेश संख्या–416/XXIV(8)/2005– 56/2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 410.00 लाख में से रू0 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

11– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– आयोजनागत – 104– बहुशिल्प – 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष / महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–397 /वित्त अनुभाग–3/ 2005 दिनांक 28.12.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।